



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14. अशोक मार्ग. लखनऊ-226001  
CIN: U40101UP1980SGC005065



संख्या: 1915/मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2018-3(10)मा०सं०(04)/2017 दिनांक 25 अक्टूबर, 2018

### कार्यालय ज्ञाप

सातवें वेतन पुनरीक्षण विषयक निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०-1303/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2017-3(10)-मा०सं०(04)/2017 दिनांक 01.09.2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन मैट्रिक्स में वेतन पुनरीक्षण हेतु विकल्प की सुविधा दिनांक 31.08.2017 तक अनुमन्य है, जिसमें विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की अवधि (03 माह) की समय-सीमा दिनांक 30.11.2017 को समाप्त हो गयी है। इस अवधि यथा दिनांक 01.01.2016 से 31.08.2017 के मध्य जिन कार्मिकों के वित्तीय स्तरान्णयन सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए०सी०पी० योजना) के अन्तर्गत देय थे किन्तु उसकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के विभागीय प्रशासनिक आदेश विकल्प प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात् जारी हो रहे हैं, ऐसे कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए०सी०पी० योजना) में वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता की तिथि से उ०प्र०पा०का०लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/18-5-काविनी/16 (टी०सी०-सी) दिनांक 24.07.2018 की अनुरूपता में संशोधित विकल्प प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय स्तरान्णयन स्वीकृत किये जाने के प्रशासनिक आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जिनमें उक्त अवधि दिनांक 01.01.2016 से 31.08.2017 के मध्य देय वित्तीय स्तरान्णयन पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है उनमें भी संशोधित विकल्प इस आदेश के निर्गत होने के 90 दिन के अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

प्रबन्ध निदेशक

सं० : -(1)-मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक ओबरा/अनपरा/पारीछा एवं मुख्य अभियन्ता, हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० रा०वि०उ०नि०लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
5. महाप्रबन्धक(मा०सं०)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/ईधन/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/जानपद-नवपरियोजनायें/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

क्रमशः 2 पर.....

(2)

9. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0(01/02/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
10. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
11. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0-01/05/03/04/रिफार्म) उ0प्र0 रा0वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
13. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 रा0वि0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध),उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
15. कट फाइल ।

25/10/18  
(कौशलेन्द्र कुमार)

अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0-04)